

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस, जे.पी.अस्पताल, 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 21 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ एस.एस.बघेल

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी

जिला बड़वानी

विषय :- डॉ. एस.एस.बघेल के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1397 दिनांक 30.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल(म.प्र)

मो.न.: 7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 22

प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपसंचालक स्वास्थ्य सेवाएँ इंदौर संभाग इंदौर / सिविल सर्जन इंदौर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे, ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 23 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ. जे.एस.गोगिया

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी

जिला छतरपुर

विषय :- डॉ. जे.एस.गोगिया के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1440 दिनांक 06.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करे ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं .भोपाल(म.प्र)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 24

प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर / सिविल सर्जन छतरपुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सागर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 31 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

श्री अनिल शर्मा  
सह स्टेशनरी क्रय प्रभारी  
जिला शाजापुर

विषय :- श्री अनिल शर्मा के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वाह्न 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं .भोपाल(म.प्र)

मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 32

भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- १७ दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

श्री एस.पी.जोशी  
लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी  
जिला शाजापुर

विषय :- श्री एस.पी.जोशी के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिधी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 30  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिधी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 27 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

श्री कैलाश बाबू वर्मा  
इंसर (निलंबित)  
जिला शाजापुर

विषय :- श्री कैलाश बाबू वर्मा के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 28

प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 25 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ अनसुईया गवली  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला शाजापुर

विषय :- डॉ. अनसुईया गवली के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापत्रांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए .भोपाल(म.प्र)

मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 26  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 19 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ हर्ष गुप्ता  
चिकित्सा अधिकारी  
जिला चिकित्सालय टीकमगढ़

विषय :- डॉ. हर्ष गुप्ता के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1399 दिनांक 30.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल(म.प्र)

मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 20  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14-8-18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़ / सिविल सर्जन टीकमगढ़ उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सागर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 017 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. एस.के.चंदैया


तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक  
स्वास्थ्य केन्द्र बनखेडी , जिला होशंगाबाद

विषय :- डॉ. एस.के.चंदैया के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1346 दिनांक 19.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वाह्न 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।



राधावल्लभ शर्मा

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए .भोपाल(म.प्र)

MobNO 94253-74401


भोपाल दिनांक 7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक / 18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद / सिविल सर्जन होशंगाबाद उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक होशंगाबाद की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।



राधावल्लभ शर्मा  
विभागीय जाँच अधिकारी



कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस, जे.पी.अस्पताल, 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-015 दिनांक 06.08.2018

प्रति,


डॉ. नीरज सिंह  
मेडिकल आफीसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र  
कोलारस, जिला शिवपुरी

विषय :- डॉ. नीरज सिंह के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1336 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

  
राधावल्लभ शर्मा  
विभागीय जाँच अधिकारी  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)  
94253-74401


भोपाल दिनांक 7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 1/6

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी / सिविल सर्जन शिवपुरी उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक शिवपुरी की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे, ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब/ना हो ।

  
राधावल्लभ शर्मा  
विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-013 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. डी.पी.सिंह


तत्कालीन सिविल सर्जन , सह मुख्य अस्पताल  
होशंगाबाद

विषय :- डॉ. डी.पी.सिंह के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1324 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वाह्न 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

  
राधावल्लभ शर्मा

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

Mob No 94253-74401


भोपाल दिनांक 7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 1/14

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल / सिविल सर्जन भोपाल उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

  
राधावल्लभ शर्मा  
विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-06/ दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. प्रदीप सक्सेना

स्त्री रोग विशेषज्ञ , सिविल अस्पताल डबरा


जिला ग्वालियर

विषय :- डॉ. प्रदीप सक्सेना के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1326 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।


  
राधावल्लभ शर्मा  
विभागीय जाँच अधिकारी  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए .भोपाल(म.प्र)  
Mob.No. 94253-74401  
भोपाल दिनांक 7/8-1/2018

पृष्ठांकन क्रमांक / 12

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर / सिविल सर्जन ग्वालियर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

  
राधावल्लभ शर्मा  
विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-09

दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. लेखा तिवारी  
तत्कालीन स्त्री रोग विशेषज्ञ  
जिला चिकित्सालय गुना

विषय :- डॉ. लेखा तिवारी के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1339 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वाह्न 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं .भोपाल(म.प्र)

Mob- No 774700 5301

पृष्ठांकन क्रमांक /10

भोपाल दिनांक

7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना / सिविल सर्जन गुना उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक ~~गुना~~ की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-07 दिनांक 06.08.2018

प्रति,


डॉ.जगदीश प्रसाद  
तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक  
स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन , जिला सिवनी

विषय :- डॉ.जगदीश प्रसाद के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1332 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

  
दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं .भोपाल(म.प्र)

MOB-NO. 7747005301


पृष्ठांकन क्रमांक/08

भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी / सिविल सर्जन सिवनी उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो

  
दिनेशचन्द्र सिंघी  
विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस, जे.पी.अस्पताल, 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-05 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.मंजू सिंह

स्त्री रोग विशेषज्ञ

जिला चिकित्सालय रतलाम

विषय :- डॉ.मंजू सिंह के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1328 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल(म.प्र)

7747005301

भोपाल दिनांक

7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 06  
प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम / सिविल सर्जन रतलाम उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन (वर्तमान पदनाम क्षेत्रीय संचालक) की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यभुक्त करना सुनिश्चित करे, ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-02 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.उषा तिवारी  
महिला चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र  
नौगांव ,जिला छतरपुर

विषय :- डॉ. उषा तिवारी के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1436 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए ,भोपाल(म.प्र)

Mob No. 7747005301

भोपाल दिनांक 7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक

104

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर / सिविल सर्जन छतरपुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक छतरपुर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-01 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.एस.आर.चौहान

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला मन्दसौर

विषय :- श्री डॉ.एस.आर.चौहान के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1330 दिनांक 11.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ,भोपाल(म.प्र)

Mo NO.

7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक

102

भोपाल दिनांक

7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर / सिविल सर्जन मंदसौर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:-संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी